

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:-एफ.7(1)(3) पंचा/रानिआ/14-15/972

दिनांक : 24.01.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत) (कलेक्टर) राजस्थान।

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचनों में अभ्यर्थियों द्वारा मतदान दिवस को मतदान बूथ स्थापित करने के संबंध में।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/5052 दिनांक 23.12.2025 की पैरा 6 के खण्ड-4 में यह उपबन्धित किया गया है कि किसी भी मतदान बूथ के भवन के 200 मीटर परिधी क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह अथवा नारे दर्शाते हुये पोस्टर या बैनर नहीं लगाये जायेंगे तथा उक्त पैरा के परन्तुक में यह उपबन्धित है कि मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाये जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है, जिसका आकार 2 X 5 फिट से अधिक नहीं होगा।

उक्त अधिसूचना दिनांक 23.12.2025 के पैरा 6 खण्ड (iv) के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों की समरूपता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त खण्ड में वर्णित निर्देशों के स्थान पर निर्देशित किया जाता है कि-

“मतदान दिवस को मतदान केंद्र के भवन के 100 मीटर की परिधी में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थियों के निर्वाचन बूथ सादे हो। उन पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, झण्डे, प्रतीक चिन्ह या प्रचार सामग्री प्रदर्शित ना की जाए। निर्वाचन बूथों में खाने - पीने की कोई वस्तु ना परोसी जाए और ना ही उनमें भीड़ एकत्रित हो।”

साथ ही मतदान केंद्र के भीतर या उसके आस-पास प्रचार पर प्रतिबंध के संबंध में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 130 के अंतर्गत प्रावधान वर्णित है, जो निम्नानुसार है:

- (1) कोई भी व्यक्ति, जिस दिन या जिन दिनों किसी मतदान केंद्र पर मतदान लिया जा रहा हो, उस मतदान केंद्र के भीतर या उससे 100 मीटर की दूरी के भीतर किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर निम्नलिखित में से कोई भी कार्य नहीं करेगा, यथा
 - (क) मतों के लिए प्रचार करना; या
 - (ख) किसी मतदाता से उसका मत माँगना; या
 - (ग) किसी मतदाता को किसी विशेष अभ्यर्थी को मत न देने के लिए प्रेरित करना; या
 - (घ) किसी मतदाता को चुनाव में मतदान न करने के लिए प्रेरित करना; या
 - (ङ) चुनाव से संबंधित कोई सूचना या संकेत (आधिकारिक सूचना के अतिरिक्त) प्रदर्शित करना।
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 130 की उपधारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति अधिकतम ढाई सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।
- (3) इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।”

अभ्यर्थियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले निर्वाचन बूथों हेतु निम्नांकित प्रतिबन्ध लागू रहेंगे :-

- (1) कोई भी अभ्यर्थी मतदान के दिन मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से 100 की दूरी के भीतर अपना निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं करेगा। यहां तक कि जहां एक ही परिसर/स्थान पर एक से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए गए हो, वहां भी किसी अभ्यर्थी का निर्वाचन बूथ किसी भी मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जाएगा।
- (2) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा धार्मिक स्थल अथवा धार्मिक स्थलों के परिसर में निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं किए जाए।

- (3) इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल के निकट निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं किए जाए।
- (4) अभ्यर्थी के द्वारा अधिकतम एक मेज एवं दो कुर्सियाँ लगाई जा सकेंगी और ऐसे बूथ पर छाया के लिए 'छाता' अथवा मौसम की परिस्थिति के अनुरूप छोटा टेन्ट जिसका आकार '10X10' फीट से अधिक नहीं हो, लगाया जा सकता है, लेकिन साईडों में 'कनात' या 'टेन्ट' लगाने की अनुमति नहीं होगी।
- (5) अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी/संबंधित अधिकारियों से निर्वाचन बूथ स्थापित करने के लिए लिखित रूप में बूथों के नाम और क्रमांक सूचित करते हुए अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है।
- (6) ऐसे निर्वाचन बूथ का उपयोग अभ्यर्थी द्वारा केवल मतदाता पहचान पर्ची का वितरण करने के लिए ही किया जायेगा। मतदाता पहचान पर्चियों पर किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी का नाम या चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होगा। मतदाता पहचान पर्चियों पर मतदाता का नाम, मतदाता सूची का क्रमांक, वार्ड सं. एवं मतदान केन्द्र का नाम ही अंकित हो सकेगा। अन्य किसी भी प्रकार का लेख उस पर अंकित नहीं होगा।
- (7) ऐसे निर्वाचन बूथों पर भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जायेगी और ऐसे किसी व्यक्ति को वहाँ खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जायेगी जिसने कि अपना मत दे दिया हो।
- (8) ऐसे निर्वाचन बूथों पर किसी मतदाता को अपनी इच्छा से मत देने से रोकने के लिये उपयोग में नहीं लिया जायेगा और ना ही अन्य अभ्यर्थियों के बूथों से आने वाले मतदाताओं के आने जाने में बाधा पहुँचायी जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं करने पर अभ्यर्थी के निर्वाचन बूथ को हटाया जायेगा एवं आयोग की उपरोक्त अधिसूचना के प्रावधानों सहित अन्य सुसंगत कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। शेष आदेश यथावत प्रभावी रहेगा।

भवदीय

23/11/26

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

दिनांक : 24.01.2026

क्रमांक:-प.7(1)(3) पंचा/रानिआ/14-15/973-979

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत समिति) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. लेखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

23-01-2026

(अम्बा लाल मीणा)

उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/5052 दिनांक: 23.12.2025

अधिसूचना

सां. आ. 138/2025 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 243क (Article 243K) के अंतर्गत पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है।

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 22क (Section 22A) की उप-धारा (1) में यह उपबंध है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है, समाप्त होने वाली निर्वाचन की कालावधि के दौरान किसी भी अभ्यर्थी या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा यानों (Vehicle) या ध्वनि विस्तारकों के उपयोग या कट आउटों, होर्डिंगों, पोस्टरों और बैनरों के प्रदर्शन पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा।

(2) यदि कोई भी अभ्यर्थी या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता, उप-धारा(1) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिरोपित निर्बंधनों में से किसी का भी उल्लंघन करता है, तो वह, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) उप-धारा(1) के अधीन दंडित प्रत्येक व्यक्ति आयोग के आदेश से, किसी पंचायतीराज संस्था का सदस्य चुने जाने या होने के लिए ऐसी कालावधि के लिए, जो ऐसे आदेश को तारीख से छह वर्ष तक की हो सकेगी, निरर्हित किये जाने का दायी होगा।

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी पश्चात्पूर्ती आदेश द्वारा, इस धारा के अधीन किसी भी निरर्हता को हटा सकेगा या किसी भी निरर्हता की कालावधि को कम कर सकेगा।

(4) कोई भी न्यायालय उप-धारा(2) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध का, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिये गये परिवाद के सिवाय संज्ञान नहीं लेगा।

पंचायतीराज संस्थाओं के पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243क (Article 243K) एवं पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 22(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आयोग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)(1) नपा-पंचा/सांआ/रानिआ/2014/5596 दिनांक 02.12.2019 (सां. आ. 129/2019) को अधिक्रमित करते हुये निम्न आदेश जारी करता है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ:- (i) इस आदेश का नाम राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन में वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग तथा पोस्टरों, बैनरों आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध) आदेश, 2025 है;

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर है तथा यह पंचायतीराज संस्थाओं के पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के संबंध में लागू होगा, और

(iii) यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

2. परिभाषाएँ:- (1) आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(i) "निर्वाचन" से पंचायतीराज संस्थाओं के पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के लिए "साधारण निर्वाचन" और "उप निर्वाचन" अभिप्रेत है;

(ii) "प्ररूप क", "प्ररूप ख" एवं "प्ररूप ग" से इस आदेश से संलग्न "प्ररूप क", "प्ररूप ख" एवं "प्ररूप ग" अभिप्रेत है;

(iii) "खण्ड" से इस आदेश के पैरा का "खण्ड" अभिप्रेत है;

- (iv) "नियम" से राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के "नियम" अभिप्रेत है;
- (2) जो शब्द और पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं और राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 अथवा राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 में परिभाषित हैं, उनके वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम और नियम में क्रमशः समनुदिष्ट हैं।
3. कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा— अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से निर्वाचन समाप्ति तक चुनाव प्रचार या चुनाव संबंधी यात्रा (Campaigning or election related travel) के लिए निम्नांकित वाहनों का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा—
- (i) बस (ii) ट्रक (iii) मिनी बस (iv) मेटाडोर एवं (v) पशुचालित किसी भी प्रकार का वाहन यथा तांगा, ऊँटगाड़ी, बैलगाड़ी आदि।
4. कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग को नियंत्रित करना— उक्त वर्णित वाहनों से भिन्न अन्य किसी वाहन का उपयोग निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा:
- (1) जिला परिषद सदस्य के चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम तीन वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा;
- (2) पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम दो वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा;
- (3) सरपंच पद के चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम एक वाहन का उपयोग किया जा सकेगा;
- (4) उक्त उप खण्ड (1) (2), या (3) के अंतर्गत वाहन का उपयोग करने से पूर्व अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहन संख्या एवं उसका प्रकार तथा वाहन चालक के नाम व पते की लिखित सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी (सरपंच के मामले में उपखण्ड अधिकारी) को कम से कम 24 घंटे पूर्व देनी होगी; उक्त सूचना के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वाहन उपयोग की अनुमति लिखित में प्ररूप "ख" में जारी की जायेगी, जो अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किये जाने वाले वाहन पर प्रदर्शित (Display) की जायेगी;
- (5) किसी भी निर्वाचन में उक्त उप खण्ड (1), (2) अथवा (3), जैसी भी स्थिति हो, में बताये गये वाहनों सहित 3 से अधिक वाहनों की रैली या काफिला नहीं निकाला जायेगा। मतदान समाप्ति के लिये निर्धारित समय के 48 घण्टे पूर्व की अवधि में ऐसी रैली या काफिला निकाला जाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
- (6) उक्त उप खण्ड (1), (2) एवं (3) के अन्तर्गत मतदान दिवस को वाहन के उपयोग के लिए लिखित अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से लेनी होगी। यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133 संपठित धारा 123(5) के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी अनुमति रिटर्निंग अधिकारी/ उपखण्ड अधिकारी द्वारा बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी।
- स्पष्टीकरण— इस पैरा के प्रयोजन के लिए वाहन से अभिप्रेत जीप, कार, तिपहिया टैम्पो आदि है।
5. लाऊड स्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध— लाऊड स्पीकरों का उपयोग निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा—
- (1) अभ्यर्थी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए स्थापित चुनाव कार्यालय पर लाऊड स्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा;
- (2) मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घण्टे की अवधि में लाऊड स्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- (3) अस्पताल, स्कूल एवं धार्मिक स्थल से 100 मीटर की परिधि में लाऊड स्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा;
- (4) प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक लाऊड स्पीकर का उपयोग क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम प्राधिकारी की प्ररूप "ग" में लिखित अनुमति के

उपरान्त ही किया जा सकेगा। ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन में यह स्पष्टतः अंकित करना आवश्यक होगा कि लाऊड स्पीकर का उपयोग कब, किस प्रकार और किस स्थान पर किया जाना है।

6. कट-आऊट, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन का निषेध:- (1) निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा कट आऊट, होर्डिंग्स, पोस्टर या बैनर आदि निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन प्रदर्शित किये जा सकेंगे।

(1) पोस्टरों का मुद्रण कराते समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-क के उपबंधों की पालना करनी होगी;

(2) कट आऊट, होर्डिंग्स, पोस्टर या बैनर के प्रदर्शन के लिए यदि वे सार्वजनिक स्थल पर लगाये जाते हैं तो संबंधित स्थानीय प्राधिकारी या इस निमित्त विधि द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति लेनी होगी;

(3) जहाँ प्रचार सामग्री या विज्ञापनों के प्रदर्शन के संबंध में स्थानीय विधि में कोई प्रावधान नहीं हो तो वहाँ किसी निजी संपत्ति पर केवल ऐसी प्रचार सामग्री जो आसानी से हटायी जा सके, यथा झाण्डियां, बैनर, आदि लगायी जा सकेगी लेकिन ऐसी प्रचार सामग्री लगाने से पूर्व संबंधित संपत्ति के स्वामी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी;

(4) किसी भी मतदान बूथ के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में कट आऊट, होर्डिंग्स, पोस्टर या बैनर नहीं लगाये जायेंगे;

परन्तु मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाये जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है जिसका आकार 2x5 फीट से अधिक नहीं होगा। इस बैनर पर किसी राजनैतिक दल के नेता या अभ्यर्थी का चित्र/फोटो या चुनाव चिह्न या नारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

(5) आगसभा/जुलूस/रैली आदि के लिए अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी।

7. अधिकतम चुनाव खर्च सीमा एवं इस आदेश का उल्लंघन :- (1) पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव हेतु धारा 22क (Section 22A) के अन्तर्गत उपर उल्लेखित मदों के लिए किए जाने वाले खर्च की अधिकतम सीमा नीचे दी गई तालिका में अंकितानुसार होगी ;

क. सं.	पद का नाम	अधिकतम खर्च सीमा
1.	जिला परिषद सदस्य के लिए	रुपये 3,00,000/-
2.	पंचायत समिति सदस्य के लिए	रुपये 1,50,000/-
3.	सरपंच के लिए	रुपये 1,00,000/-

(2) चुनाव खर्च का लेखा संलग्न प्ररूप "क" में परिणामों की घोषणा के 15 दिवस के अन्दर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर) या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी प्राप्त लेखा जोखा को जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तीन दिन तक प्रदर्शित करेगा। इसके आगामी सात दिवस में कोई भी व्यक्ति उक्त प्ररूप "क" में दर्शित खर्च के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) उक्त आदेश द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध के उल्लंघन की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष की जा सकेगी। ऐसा अधिकारी या तो स्वयं जांच कर सकेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी, जो तहसीलदार स्तर से निम्न श्रेणी का नहीं होगा, से जांच करा सकेगा। शिकायत में अंकित तथ्यों के साबित पाए जाने पर समुचित कार्यवाही के लिए प्रकरण क्षेत्राधिकार रखने वाले उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।

(8) प्रतिबंधों के उल्लंघन पर न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत करना:- (1) राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 22क (Section 22A) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उपखण्ड

अधिकारी को, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में इस आदेश का उल्लंघन हुआ है, ऐसे उल्लंघन के संबंध में सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

(2) उपखण्ड अधिकारी, खण्ड 7 के अनुसार प्राप्त रिपोर्ट पर सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे परिवाद एवं की गई जांच की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भी तीन दिन के भीतर भेजेगा।

(3) उक्त उप खण्ड (1) में प्रस्तुत प्रकरण में पारित निर्णय की प्राप्ति पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा उसकी प्रति 15 दिवस के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजी जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को एतद्वारा यह सूचित करता है कि उपर्युक्त विषय पर वैधानिक प्रावधानों एवं आयोग के निर्देशों के उल्लंघन को गम्भीरता से लिया जायेगा और दोषियों के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,

23/12/25
(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

दिनांक : 23.12.2025

क्रमांक: एफ. 1(2)(1) पंचा/सा.आ./रानिआ/14/5052-57
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्ति है:-

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर), राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
3. अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय को राजपत्र विशेषांक 6(ग) में प्रकाशन हेतु।
4. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु, ई-गजट पर अपलोड करने, संबंधित को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. लेखा/कम्प्यूटर/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर।

22.12.25
(अम्बालाल मीणा)

उप सचिव